पूर्वांचल : करघों की ख़ामोशी

पारंपरिक करघा/बुनाई उद्योग पर कोविड-19 लॉकडाउन के असर को समझने के लिए एक अध्ययन

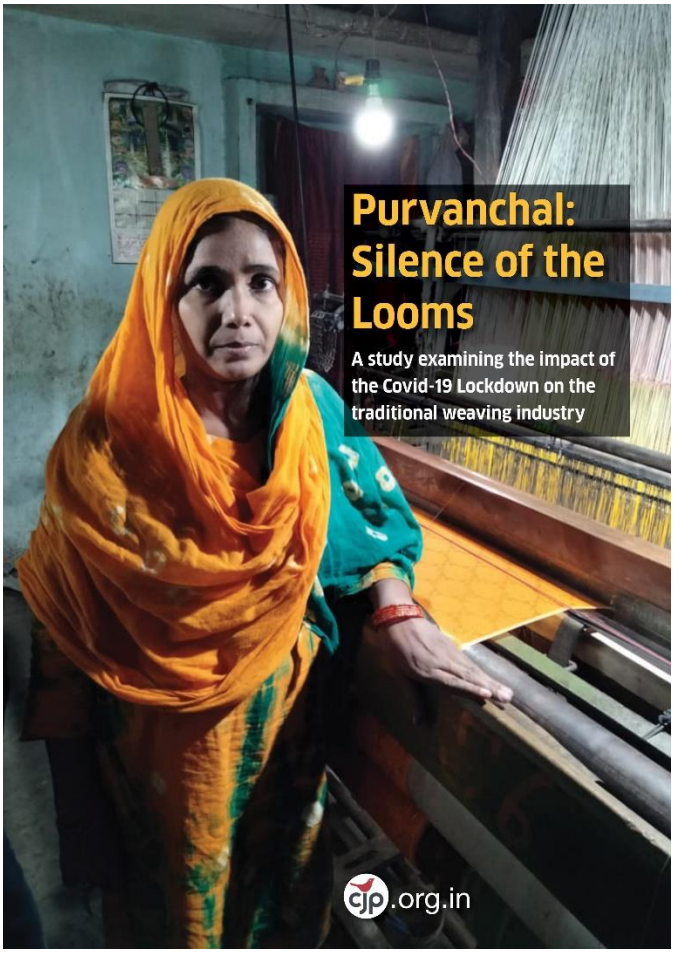

अध्ययन का सारांश :

सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के द्वारा 2020 और 2021 के दौरान फैले कोविड-19 संक्रमण, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पारंपरिक बुनाई/करघा उद्योग की दुर्दशा और बदहाली की स्थिति को गहरी और बारीकी नज़र से समझने के लिए जमीनी स्तर पर फैक्ट फाइंडिंग का लक्ष्य लिया गया।

हमारी 17 सदस्यीय जाँच-पड़ताल टीम की अगुवाई वाराणसी की सोशल साइंस शोधकर्ता, डॉक्टर मुनीज़ा खान के नेतृतव में सम्पन हुआ। इस अध्ययन और जाँच-पड़ताल के दौरान टीम ने 204 उत्तरदाताओं का विस्तृत साक्षात्कार किया। इसके अलावा 37 विडियो साक्षात्कार और 19 ऑडियो साक्षात्कार भी किये गए। यह सभी साक्षात्कार इलाके में लगे हुए प्रसिद्ध बनारसी कपड़े और उससे जुड़े हुए कामकाज में लगें हुए लोगों के बीच में जाकर किया गया है।

उत्तरदाता क्रमशः वाराणसी के 13 जगहों से संबद्ध हैं। जिसमे गोरखपुर (रसूलपुर, पुराना गोरखनाथ), आजमगढ़ (मुबारकपुर, इब्राहिमपुर, शाहपुर) और मऊ (घोसी, मधुबन) के रहने वाले या काम करने वाले बुनकर उदद्योग के लोग शामिल हैं।

टीम ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के बीच में जाकर सर्वेक्षण करते समय मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और सामाजिक दूरी बनाना आदि दूसरी सभी आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखते हुए और इनका पालन कराते हुए अपने काम को अंजाम दिया है।

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत विस्तृत विश्लेषण और डेटा से पता चलता है कि पहले से ही सरकार द्वारा अपनाई गई प्रतिकूल और शत्रुतापूर्ण नीतियों के चलते, यह समुदाय पिछले कई दशकों से करघा उद्योग और इसके साथ ही ज़रदोज़ी उद्योग के गंभीर संकट के चलते बुरी स्थिति में जीने के लिए मजबूर थे और अब अचानक और अनियोजित तरीके से लगाए गए इस लॉकडाउन की कार्यवाही के चलते, उन्हें और भी ज़्यादा निराशा और बदहाली का सामना करना पड़ रहा है।

इस कार्यवाही ने बुनकरों के जीवन को गंभीर रूप से आर्थिक और संरचनात्मक झटका दिया है। जिसके चलते बुनकर समाज में गंभीर संकट मसलन कर्ज़, भुखमरी और भीख मांगने तक की नौबत पैदा हो गई है। ऐसे संकट के लिए किसी भी समाज और राज्य को शर्मसार होना चाहिए।

इस बीच न तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने अब तक सैकड़ों-हजारों बुनकरों और उनके परिवारों की दुर्दशा के प्रति कोई संवेदनशीलता दिखाई है, और न ही कोविड-19 से पैदा हुई भयावह स्थिति का किसी भी तरह से जवाब देने में सफल रही है।

यहाँ यह जोड़ना जरूरी है कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद के दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा और पावरलूम व्यवसाय को एक अनुमान के मुताबिक़ तकरीबन 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

हमारे द्वारा किये गए जाँच-पड़ताल से कुछ बेहद जरूरी, और साफतौर पर चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आये हैं। जिन्हें निम्न लिखित रूप से नीचे बयां किया जा रहा है :

- साक्षात्कार में शामिल 89 प्रतिशत लोगों का कहना था कि विश्वास की कमी के कारण, वे विभिन्न प्रकार के राहत उपायों जैसे कि खाद्य राशन सामग्री, आर्थिक सहायता, बढ़े हुए बिजली के बिल, सीवेज संबंधित और इसी तरह की अन्य नागरिक समस्याएं के लिए स्थानीय और राज्य सरकार से वे संपर्क नहीं कर सके या नहीं किया। बाकी बचे 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से जिन्होंने संपर्क करने की बात को स्वीकार, वे लोग सरकार या प्रशासन के द्वारा किये गए कामों से असंतुष्ट थे।
- केंद्र सरकार की योजनाओं तक पहुंच का अभाव :
- केंद्र सरकार की बहुप्रचारित स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पी एम यू वाई) जिसे 1 मई, 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जमीनी स्तर पर लोगों तक यह योजना नहीं पहुंची है। हमारे उत्तरदाताओं में से केवल 10 प्रतिशत महिलाएं ऐसी थी जिनको इस योजना के तहत उज्ज्वला गैस को प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया था; बाकी आवेदकों के बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।

- इसी तरह से उत्तरदाताओं के बड़े हिस्से ने स्वीकारा कि केंद्र द्वारा चलायी गयी प्रधान मंत्री जन धन योजना (पी एम जे डी वाई) का लाभ उन तक पहुँचने में मुश्किल रहा है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास अपना कोई खाता ही नहीं था और बचे हुए बाकी 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं जिनके पास खाता था, उनमें से केवल 58 प्रतिशत ही ऐसे लोग थे जिन्होंने एक या एक से अधिक बार नकद हस्तांतरण या लेन देन किया था।
- वह बुनकर जो मजदूरी करते हैं या जिनके पास कुछ एक करघे ही हैं, ऐसे अधिकांश बुनकर मुस्लिम अंसारी, दलित, ओबीसी जैसे समुदायों से संबंधित हैं और कुछ ऐसे मुसलमान बुनकर भी हैं जिनका संबंध विशेषाधिकार प्राप्त जातियों से भी है। आज इस हस्तशिल्प उद्योग से जुदा एक बड़ा वर्ग पूरी तरह से गरीबी और बदहाली में जीवन जीने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में, इन सवालों को न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक नीति और निर्णय लेने वाले विधान को प्रभावित करने के लिए जरूरी है कि सही सूचना और तर्कपूर्ण सार्वजनिक संवाद को बल दिया जाया।
- हमने इस जाँच-पड़ताल के दायरे को व्यापक बनाने के लिए महिलाओं तक भी अपनी पहुँच बनायी और उन्हें उत्तरदाताओं के रूप चिह्नित किया क्योंकि वे इस उद्योग की रीढ़ हैं। ये महिलाएं बुनाई से लेकर इससे जुड़ी अन्य संबद्ध गतिविधियों जैसे स्पूल फीडिंग, साड़ी की साज़ सज्जा और सजावट से लेकर उसे अंतिम रूप देने (फिनिश्ड वर्क) जैसे अनेकों कामों में शामिल हैं। हमारे उत्तरदाताओं में 24 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियां शामिल थीं।
- यहाँ तक कि इस दौर में इन लोगों का ज़्यादातर काम अवैतनिक रहता है क्योंकि यह सारा काम उनके घर के कामों के हिस्से के रूप में देखा जाता है।
- इन महिलाओं और लड़कियों का बयान उनकी गरीबी, भूख और घरेलू शोषण के अलावा कुपोषण और स्वास्थ्य मुद्दों की अनकही उदासीन कहानियों को बयान करता है। इस दौर में कई लड़कियों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- पिछले तीन दशकों में योजनाबद्ध तरीके से की जाने वाली लक्षित सांप्रदायिक हिंसा और राजनीति के क्रूर रूप के समग्र प्रभाव का भी महिलाओं, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं पर बेहद बुरा असर पड़ा है। धर्म आधारित लिंग पहचान ने पारंपरिक लिंग-आधारित एकजुटता को गहराई से प्रभावित किया और महिला एकजुटता को गंभीर रूप से तोड़ने का काम किया है। निसंदेह इस तरह की तोड़-फोड़ और विभाजन अक्सर एकजुटता को खंडित करती है। ऐसी ही विभाजनकारी घटनाओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे भारत को अपने आगोश में बहा कर ले गयी।
- कमर्शियल मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से टेलीविजन महज विभाजनकारी प्रवचन को आगे बढ़ाने के रूप में काम करती रही है। इसने न केवल तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है बल्कि इसके अलावा इसने अपने आपको संविधान विरोधी एजेंडे को लागू करने के रूप में खुद को तैयार किया था, और अल्पसंख्यक के सभी वर्गों की पीड़ा को, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकर समुदाय के जीवन को और भी ज़्यादा अपमानित करने और विकट बनाने का काम किया है।
- हमारे उत्तरदाताओं में से एक बड़ी संख्या ने बताया कि किस तरह से वायरस के फैलने के बाद के काफी दिनों और हफ़्तों तक उनके कामों का आर्थिक बहिष्कार सा किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से एक समुदाय विशेष को जानबूझकर कोरोना-जिहाद, वायरस के सुपरस्प्रेडर्स जैसे शब्दों के रूप में चिह्नित किया गया और कैसे जानबूझकर ऐसी गलत-फहमी का इस्तेमाल किया जा रहा था।

सरकारी और व्यापारिक निगमों के लिए सिफारिशें

- यह रिपोर्ट केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारों से विस्तृत सिफारिशें करती है। जिसमें आग्रह किया जाता है कि नीतियां बनाने और बजटीय आवंटन (पिछले सात-आठ वर्षों में घटते बजट को देखते हुए) से पहले इस उद्योग से जुड़े सभी हित धारकों से परामर्श किया जाये। गाँव, तालुका और राज्य स्तर पर पेशेवर सहकारी समितियों के लिए राज्य द्वारा इसके संचालन को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया जाना जरूरी है।
- अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी योजनाओं और अभियानों का लाभ हर अंतिम बुनकर और कारीगर तक पहुंचे।
- रिपोर्ट, 2011, व्यवसाय और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का आह्वान करते हुए, इस समृद्ध और पारंपरिक कला और शिल्प के आधार पर पनपने वाले निगमों, निर्यातक घरानों और ब्रांडों से सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा के मानकों का सम्मान करने का भी आग्रह करती है क्योंकि उत्पादक/निर्माता ही दरअसल निर्मित उत्पादों के केंद्र में है।
- यह तथ्य कि बनारसी साड़ी और ब्रोकेड के निर्माता ही इस बौद्धिक संपदा के मालिक हैं, इसके इर्द-गिर्द जन जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि यह एक ऐसा तथ्य जिससे ज़्यादातर बुनकर और कारीगर अनिभिज्ञ हैं। (भौगोलिक संकेतक हस्तशिल्प के तहत 2009 में पंजीकृत) (https://search ।ipindia ।gov ।in/GIRPublic/Application/Details/237)

एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभियान के लिए आह्वान करें :

एक ऐसे स्थायी और अनुकूल राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अभियान की तत्काल आवश्यकता है जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर रौशनी डालता हो :

- ग्रामीण-शहरी आजीविका और भारत की सांस्कृतिक विरासत से इतने नजदीक से जुड़े इस उद्योग और शिल्प का निरंतर पुनरुद्धार सुनिश्चित करना।
- नीतिगत, आर्थिक और व्यापारिक प्रथाओं को स्वीकार करने, उभरने या प्रोत्साहन से पहले सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक जुड़ाव के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करना।
- महिलाओं पर विशेष जोर देने के साथ-साथ शिल्पकारों, कारीगरों और बुनकरों के विभिन्न स्तरों में काम करने वाले सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सुनिश्चित करना।
- उत्पादों के निर्माताओं के साथ व्यवहार करते समय सामाजिक जिम्मेदारी और मानवाधिकारों के एक घटक के रूप में निगमों और व्यवसायों तक पहुंच बनाने को सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी इस रिपोर्ट में अभियान की मांगों का जवाब दें।
- सभी भारतीयों, इन उत्पादों के उपभोक्ताओं और अन्य लोगों को आवाज उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल होना भी सुनिश्चित करना चाहिये कि यह महत्वपूर्ण परम्परिक उद्योग है।

सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के संबंध में :

सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) एक मानवाधिकार आंदोलन है जो सभी भारतीयों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित है। हम अपने फोकस क्षेत्रों को अपने चार स्तंभ कहते हैं। ये चार स्तम्भ इस प्रकार से हैं :

1. **अल्पसंख्यक अधिकार** - धार्मिक, जातीय (ethnic), जाति, लिंग और यौन अल्पसंख्यकों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार।
2. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** - एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र हमेशा स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विभिन्न विश्वास प्रणालियों, संस्कृतियों और भाषाओं की गरिमा का सम्मान करता है। हम मानते हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है।
3. **आपराधिक न्याय सुधार** - सीजेपी का मानना है कि हमारी एजेंसियों- जांच, अभियोजन पक्ष और न्यायिक को गुणवत्ता और त्वरित न्याय देना, दोनों को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक लोकतान्त्रिक होने की आवश्यकता है।
4. **बाल अधिकार**- सीजेपी युवा मन में बहुलवाद और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने का काम करता है। हम किशोर न्याय सुधार और यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट https://cjp.org.in/ पर जाएँ

या cjpindia@gmail।com पर लिखें।